

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: लेखा-12(प्रोग्राम)/आं.जां./2019/ 330

दिनांक: 15/3/19

-कार्यालय आदेश:-

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लेखा-12(प्रोग्राम)/आं.जां./आं.जा.का./2018-19/2787 दिनांक 19.12.2018 के द्वारा श्री रामचरण मीणा सहायक लेखाधिकारी-प्रथम, जोन कोटा को दिनांक 12.03.2019 से 30.03.2019 तक की अवधि में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चेचट (कोटा) की आन्तरिक जाँच हेतु लगाया गया था, के स्थान पर चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा एवं संलग्न चिकित्सालयों में क्रय की गई सामग्री की विशेष जाँच हेतु जाँच कार्य संशोधित किया जाता है।

श्री रामचरण मीणा (आन्तरिक जाँच दल) को निर्देशित किया जाता है कि उप शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग से प्राप्त पत्र में अंकित बिन्दुओं पर विशेष जाँच तत्काल आरम्भ की जाकर जाँच प्रतिवेदन अद्योहस्ताक्षरकर्ता को 20 दिवस में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

वित्तीय सलाहकार,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर
दिनांक:

क्रमांक: लेखा-12(प्रोग्राम)/आं.जां.का./2019/

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
4. मिशन निदेशक, एन.एच.एम./प्रबन्धक निदेशक, आर.एम.एस.सी., राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक (वित्त), एन.एच.एम., राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन कोटा।
8. श्री रामचरण मीणा, सहायक लेखाधिकारी प्रथम-जोन कोटा।
9. प्रभारी सर्वर रूम को दी जाकर लेख है कि इस आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।
10. रक्षित पत्रावली

वित्तीय सलाहकार,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

37
22-2-19

195

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

Dak. 1734

Date. 21-2-19

PS/AOS/MSH/2019

विषय:- चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा एवं संलग्न चिकित्सालयों में कय की गई सामग्री की विशेष अंकेक्षण के सम्बन्ध में।

FA



१०.१.१९


क/१२/१९

२
२१/२/१९

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा एवं संलग्न चिकित्सालयों में कय के निम्न प्रकरणों में अनियमितताएँ पाई गई हैं:-

1. ई निविदा संख्या 4/2017-18 में अनुमोदित डिक्लोफेन्स जेल से भिन्न जेल की आपूर्ति।
2. महाराजा भीमसिंह चिकित्सालय में वित्तीय वर्ष 2018-19 में कय निविदा फर्मों द्वारा दवाओं की आपूर्ति न करना।
3. राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी की बैठक दिनांक 24.6.2016 में लिये गये निर्णयानुसार महाराजा भीमसिंह चिकित्सालय में मेन आउटडोर में दवा की दुकान का आवंटन।
4. खुली निविदा संख्या 3/2016-17/3619-25 दिनांक 5.9.2016 द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण हेतु इस्टबीन कय में अनियमितताएँ।
5. Inj. Rituximab 100 mg व 500mg के कय में अनियमितताएँ (दैनिक भास्कर कोटा संस्करण में दिनांक 17.1.2019 को प्रकाशित समाचार)।

उक्त प्रकरणों पर माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अंकेक्षण दल का गठन कर विशेष अंकेक्षण करवाये जाने हेतु निर्देशित किया है। अतः वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर को उक्त प्रकरणों का विशेष अंकेक्षण करवाकर, प्रतिवेदन इस विभाग को प्रस्तुत कराने हेतु निर्देशित कराने का श्रम करावें।


(गोपाल सिंह)
शासन उप सचिव

अतिरिक्त मुख्य सचिव,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग


अ.शा.टीप कमांक प. 16(7)एम.ई./ग्रुप-1/2019


जयपुर, दिनांक:

19 FEB 2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।

श्री कोपलसिंह/श्री लीलासिंह

26/2/19


शासन उप सचिव